

The Hindustan Times

Date: 17/12/17

हिन्दुस्तान

दिनांक : 17/12/17

DSI IDC DELHI STATE INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
419 F.I.E. 3rd Floor, Patparganj, Udyog Sadan, Delhi-110092
(A Govt. Undertaking) (Relocation Division)

PRESS ADVERTISEMENT

Attn.: Allottees of industrial plots under Relocation Scheme of Govt. of NCT of Delhi who have not constructed the factory building within one year of taking physical possession

During the survey conducted by DSIIDC in the year 2017, 1706 number of industrial plots at Narela, Bawana & Bawana-II (Bhorgarh) Industrial Complexes were found vacant/unconstructed, which is in violation of the terms of allotment/lease deed on the part of the concerned allottees. The time period allowed for construction in these cases has lapsed which was for one year from the date of physical possession. Further, the extension of time for construction was granted upto 31.12.2016 for allottees who had paid composition charges. Consequently, show cause notices dated 02.11.2017 were issued to such allottees who have failed to carry out construction within the allowed period, as to why the action of cancellation of allotment of plot should not be initiated.

In view of the above, all the allottees corresponding to 1706 industrial plots, whose list is already displayed on DSIIDC website i.e. www.dsiidc.org are once again informed to furnish any proof of construction of factory building on the allotted plot as per policy, if any, latest by 15.01.2018, failing which action for cancellation of allotment of plot/lease deed will be initiated without any further correspondence.

Sanjiv Kumar
Divisional Manager (RL)

DSI IDC दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
419 एफ.आई.ई. (तृतीय तल) पटपड़गंज, उद्योग सदन, दिल्ली-110092
(सरकार का उपक्रम) (पुनर्स्थापन विभाग)

प्रेस विज्ञापन

कृपया ध्यान दें: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा पुनर्स्थापन योजना के अंतर्गत जिन लोगों को औद्योगिक प्लॉट आवंटित किए गए हैं और जिन्होंने भौतिक रूप से कब्जा लेने के एक वर्ष के अंदर औद्योगिक भवन का निर्माण नहीं किया है।

वर्ष 2017 में डीएसआईआईडीसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान, नरेला, बवाना और बवाना-II (भोरगढ़) औद्योगिक कॉम्प्लेक्स में 1706 आवंटित औद्योगिक भूखंड रिक्त/गैर निर्मित पाये गये, जो कि आबंटन/लीज डीड के नियमों का उल्लंघन है। निर्माण की समय सीमा, भौतिक कब्जे की तारीख से एक वर्ष के लिए थी, जो कि समाप्त हो चुकी है। संरचना शुल्क का भुगतान करने वाले आवंटियों के लिए यह समय सीमा 31.12.2016 तक बढ़ाई गयी थी। ऐसे आवंटियों को जो कि निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य करने में असमर्थ रहे उन्हें दिनांक 02.11.2017 द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उनका आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।

उपरोक्त के मद्देनजर, 1706 औद्योगिक भूखंडों से संबंधित सभी आवंटियों, जिनकी सूची पहले से ही डीएसआईआईडीसी वेबसाइट www.dsiidc.org पर प्रदर्शित की गई है, को सूचित किया जाता है कि आवंटित भूखंडों पर औद्योगिक भवन निर्माण कार्य का कोई भी प्रमाण, नीति अनुसार, दिनांक 15.01.2018 तक प्रस्तुत करें अन्यथा, बिना किसी पत्राचार के, आवंटन/लीज डीड को रद्द करने की कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी।

संजीव कुमार
विभागीय प्रबंधक (आर एल)